

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन)

राज्य में बकरियों के नस्ल सुधार हेतु चिन्हित राजस्व ग्राम में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 7000 उन्नत नस्ल (ब्लैक बंगाल) के बकरों के निःशुल्क वितरण हेतु राज्य सरकार की अभिनव योजना।

समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना-बकरा वितरण

योजना के मुख्य बिन्दु

- अधिक बकरी संख्या वाले राजस्व ग्राम में चयनित पारम्परिक बकरीपालक परिवारों के बीच ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरों का निःशुल्क वितरण।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना का कार्यान्वयन पूर्णियाँ प्रमंडल के जिलों (पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज) तथा गया एवं समस्तीपुर जिला में।

लाभुक का चयन

- अधिक बकरी संख्या वाले राजस्व ग्राम का चयन एवं चयनित राजस्व ग्राम में सुयोग्य पारम्परिक बकरी पालक परिवार का चयन जन प्रतिनिधियों के सहयोग से जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा।

अनुमानित लागत कुल ₹365.00 लाख (तीन करोड़ पैंसठ लाख) रूपये मात्र।

योजना से लाभ

बकरियों के नस्ल सुधार के साथ-साथ बकरी पालन को बढ़ावा देना।

बकरी पालन अर्थात् गरीबों का चलता-फिरता ए.टी.एम.

अधिक जानकारी हेतु निदेशक, पशुपालन अथवा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें।



प्रपत्र-1

वर्ष 2014-15 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निःशुल्क बकरा वितरण की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :	आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रेमाणित फोटोग्राफ
2. पिता/पति का नाम :	
3. जन्म तिथि :	
4. उम्र :	
4. शैक्षणिक योग्यता :	
5. पेशा :	
6. स्थायी पता :-	
ग्राम :	पोस्ट :	
थाना :	प्रखंड :	
जिला :	पिन कोड :	
7. दूरभाष/मोबाईल न0-:	
8. बकरी पालन में प्राप्त प्रशिक्षण अथवा पूर्व अनुभव का विवरण :	

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचनाएँ सही हैं तथा योजना के लिए निर्धारित शर्तों का मेरे द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन का प्राप्ति रसीद

प्राप्ति रसीद संख्या :- दिनांक-/2014

आवेदक श्री पिता/पति का नाम :-

ग्राम : पोस्ट : थाना :

प्रखंड : जिला : पिन कोड : द्वारा

"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निःशुल्क बकरा वितरण की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सभीवांछित अनुलग्नकों सहित प्राप्त किया।